| आदेश की कम सं० और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ |
|---|---|---|

# प्राधिकार, भूमि सुधार उप समाहर्ता, अरवल

## दाखिल खारीज अपीलवाद संख्या 01/2019

## जफरूद्दीन वनाम् महेन्द्र शर्मा एवं अन्य

## आदेश

30/9/19

यह दाखिल खारिज अपीलवाद आवेदक जफरूद्दीन, पिता–स्व० ईसा मियॉ, ग्राम–शहर तेलपा, थाना–करपी, ओ० पी०–शहर तेलपा, अंचल–करपी, जिला–अरवल, द्वारा दाखिल खारीज़ वाद संख्या–663/आर०–27/18–19 में दिनांक 29.03.2019 को पारित आदेश अंचल अधिकारी, करपी के आदेश के विरूद्व दायर किया है। विवादित भूमि निम्न है:–

| खाता | खेसरा | रकवा | ग्राम | थाना | अंचल |
|---|---|---|---|---|---|
| 127 | 3907 | 50 डी० | शहर तेलपा | करपी | करपी |

दाखिल खारीज अपील वाद की प्रविष्टी की गई। उत्तरवादीगण को उपस्थिति हेतु न्यायालय से नोटिस निर्गत किया गया। उत्तरवारी उपस्थित हुए और वाद की सुनवाई की गई।

**अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि:–**

(1) विवादित भूमि अपीलार्थी के पूर्वज के नाम पर खतियानी भूमि है जिस पर वे दखल कब्जा चले आ रहे है।

(2) अपीलार्थी की वंशावली निम्न है:–

स्व० शुवहानी मियॉ

↓

स्व० करामत मियॉ

↓

स्व० सोबराती मियॉ — स्व० झगरू मियॉ (नावल्द)

↓

समसुद्वीन, कमरूद्वीन, तेहरूद्वीन, जफारूदीन मियॉ

(3) विवादित भूमि अपीलार्थी के पूर्वज द्वारा विकी नही की गई है।

(4) अनुमंडल दण्डाधिकारी, अरवल के न्यायालय में धारा 144 द० प्र० सं० के कार्यवाई के दरम्यान वाद संख्या 79/2018 धारा 145 द० प्र० सं० में परिवर्तित होकर जॉच हेतु परिवर्तन किया गया है।

(5) जिला अपर समाहर्ता, अरवल के न्यायालय में जमाबंदी रद्दीकरण वाद संख्या–04/ए० सी०/2019 लंबित चल रही है।

(6) अपीलार्थी द्वारा अवर मुख्य न्यायाधीश प्रथम अरवल के न्यायालय में हकियत वाद संख्या–10/2019 दाखिल किया गया है।

(7) अंचल अधिकारी, करपी द्वारा दाखिल खारीज करने के पहले कैम्प कोर्ट का गठन नही

किया गया, न ही रैयत के नाम से नोटिस निर्गत किया गया दाखिल खारीज नियमों का पालन नही किया गया और आनन–फानन में उत्तरवादी नम्बर–02 महेन्द्र शर्मा के नाम पर दाखिल खारीज कर दिया जो न्यायसंगत नही है।

(8) विवादित भूमि का प्रथम खरीददार राधामणी देवी, पति–कृष्ण कुमार सिंह, ग्राम–कुरमुरी, थाना–पीरों, जिला–शाहाबाद हाल मोकाम–शहर तेलपा एवं दुसरा खरीदार मो० सोबराती मियॉ व अमजद अली, पिता–वसीर मियॉ विवादित भूमि की बिक्री करते जा रहे है। विवादित भूमि का बिक्री मूल रैयत के वंशज द्वारा कोई बिक्री नही किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अंचल अधिकारी, करपी द्वारा दाखिल खारीज वाद संख्या 663/आर०–27/18–19 में दिनांक 29.03.2019 को पारित आदेश को खारीज करने का अनुरोध अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने किया है।

**उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि:–**

(1) विवादित भूमि में उत्तरवादी संख्या–02 ने दिनांक 02.01.2019 द्वारा उत्तरवादी असरफ अली एवं अमजद अली से $42\frac{1}{2}$ डी० भूमि निबंधित केवाला के माध्यम से खरीद किया है जिस पर शांति–पूर्वक दखल कब्जा में चले आ रहे है।

(2) खरीदगी भूमि पर उत्तरवादी संख्या–02 मुर्गा फॉरम एवं आवासीय मकान बनाकर सपरिवार निवास करते चले आ रहे है जो अंश भाग परति है उसपर मौसम के अनुसार फसल लगाया करते है।

(3) उतरवादी संख्या–02 के नाम से अंचल कार्यालय करपी में जमाबंदी कायम कराकर राजस्व का भुगतान कर रहे है।

(4) विवादित भूमि का खतीयानी रैयत सुभानी मियॉ थे खतीयानी रैयत के बकाया पड़ने के बाद साविक मालीक को बाजदावा दे दिया जो बकास्त मालिक खाता संख्या–127 के कुल एराजी बकास्त हो गया। साविक मालीक के दरम्यान में कलकट्री बॉटवारा हुआ जो एराजी मधुकर बाबू कामता प्रसाद सिंह को पड़ा, कामता प्रसाद सिंह के बड़ी बेटी राधामणी देवी थी जो श्री बजंरगी प्रसाद सिंह के बड़ी बहन थी।

(5) मो० सोबराती मियॉ दिनांक 24.03.1962 को श्रीमती राधामणी देवी से वसीका संख्या–3822 से निबंधित केवाला के माध्यम से खरीद किया।

(6) जिला लोक शिकायत पदाधिकारी निवारण पदाधिकारी, अरवल में परिवाद संख्या–43411012711180157 1 दिनांक 27.11.2018 में दिनांक 24.01.2019 को पारित आदेश में जमीन रैयती खाते की है और अंचल अधिकारी, करपी द्वारा उठाए जा रहे कदम अवैध है।

(7) अपीलार्थी द्वारा अवर मुख्य न्यायाधिश प्रथम के न्यायालय में स्वत्व वाद संख्या–10/19

लाया गया है जिस भूमि पर स्वत्व वाद चल रहा है उस भूमि पर न ही जमाबंदी और ना ही दाखिल खारीज अपील की प्रकिया पूरी की जा सकती है और ना ही कोई आदेश पारित किया जा सकता है। जब अपीलार्थी का स्वत्व वाद का निर्धारण नही हुआ है तो वैसी स्थिति में आदेश पारित करना विधि विरूद्व होगा।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अंचल अधिकारी, करपी द्वारा पारित आदेश विधि संगत है। अपीलवाद खारीज किया जाय।

उभय पक्ष को सुना एवं वाद में पोषित कागजातों का अवलोकन किया। अपीलार्थी ने दाखिल खारिज वाद संख्या–663/आर०–27/18–19 में दिनांक 29.03.2019 को पारित आदेश अंचल अधिकारी, करपी के आदेश के विरूद्व यह अपीलवाद लाया है। दाखिल खारीज वाद संख्या–663/आर–27/2018–2019 में खाता संख्या–127, खेसरा संख्या–3907 में रकवा–36.25 डी० एवं 6.25 डी० (कुल रकवा–42 डी०) का दाखिल महेन्द्र शर्मा के पक्ष में किया गया है एवं उक्त भूमि का जमाबंदी रैयत असरफी अली (रकवा–50 डी०) एवं अमजद अली (रकवा–$6\frac{1}{4}$ डी०) के नाम से कायम जमाबंदी से खारीज किया गया है। आम सूचना अभिलेख में संलग्न है। जहॉ तक प्रश्नगत् भूमि का खतियान वादीगण के पूर्वज के नाम से होने का प्रश्न है इस संबंध में वादीगण द्वारा स्वत्व वाद माननीय न्यायालय में लाया गया है किन्तु वर्तमान में भूमि का दाखिल खारीज जमाबंदी रैयतों के जमाबंदी से हुआ है जिनके द्वारा केवाला के माध्यम से उत्तरवादी संख्या–02 को जमीन की विक्री की गयी है। अतः अंचल अधिकारी, करपी द्वारा दाखिल खारीज वाद संख्या–663/आर–27/2018–2019 में पारित आदेश में स्वत्व वाद अथवा जमाबंदी रदीकरण वाद में कोई निर्णय आने तक हस्तक्षेप की आवश्यकता महसूस नही होती है।

अतः वादी के द्वारा मॉगे गये अनुतोष को अस्वीकार करते हुये इस वाद को खारीज किया जाता है एवं वाद की कार्यवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

30/09/19

भूमि सुधार उप समाहर्ता
अरवल।

30/09/19

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।